decision of the Tribunal in the Official Gazette (1979) i.e. only after 2024 A.D.

Statement

Content of the Report of Five Member Group

(i) Hydrology—Issues on hydrology (availability of water) should be examined and resolved once for all.

(ii) Irrigation benefits—While it is possible to achieve irrigation efficiency of 60 percent, greater project management efforts are required.

(iii) Drinking water—Details of drinking water supply to the villages and urban centres should be finalised including funding arrangements. Efforts should be intensified for watershed development, local storages and conservation, recharging of acquifiers, etc.

(iv) Hydro electric power—Use of alternative sources of power should also be explored.

(v) Environmental issues—Efforts on environmental safeguard measures should be stepped up and closely monitored. This should include the downstream effects also.

(vi) Resettlement & Rehabilitation—Master plan for resettlement & rehabilitation of project affected persons should be prepared immediately, if not available already. The Resettlement & Rehabilitation measures should b estrictly adhered to Grievances and redressal mechanism should be established in the form of Ombudsman and assistance of voluntary agencies should be utilised.

(vii) Height of dam—Issue regarding reduction in height of dam should be resolved between Government of Gujarat and Madhya Pradesh.

Revision of SC/ST Lists in Arunachal Pradesh

1911. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in 1989, Government of Arunachal Pradesh had recommended for comprehensive revision of SC/ST Lists of Arunachal Pradesh;

(b) if so, whether Central Government have not taken any decision in this regard so far; and

(c) what are the reasons for such delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) This proposal alongwith similar other cases have been referred to an Advisory Committee for examination. The report of the Committee is awaited.

गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

12912. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों/जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों का अनुपात कितना है ;

(ख) इनमें से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है, जो क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उनके विकास हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंग्कावालू) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार अनुपात निम्नलिखित है :—

1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या

कुल : 4,13,09,582

अनुसूचित जाति : 30,60,358 (7.41%)

अनुसूचित जनजाति : 61,61,775 (14.92%)

ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार गुजरात में क्रमश: शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या :

कुल : 61,61,775

शहरी : 4,98,597

ग्रामीण : 56,63,178

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) गुजरात राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष तथा पिछले दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के विकास के लिये प्रदान की गई निधियों तथा कार्यक्रमों के ब्यौरे।

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	योजना का नाम	1992–93	1993–94	1994–95
		के दौरान प्रदान की गई निधियां		
1	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	310.87	357.95	340.98
2	अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बच्चों के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	14.38	14.57	44.96
3	पुस्तक बैंक	0.30	0.05	10.62
4	लड़कियों के लिये होस्टल	—	15.05	—
5	लड़कों के लिये होस्टल	—	39.50	99.32
6	कोचिंग तथा संबद्ध योजनायें	3.05	5.5[illegible]	2.57
7	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	186.00	200.00	—
8	अनुसूचित जाति विकास निगम	100.07	96.07	17.82
9	विशेष केन्द्रीय सहायता	908.53	796.82	956.68
10	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन	78.33	92.74	112.11

(ख) गुजरात राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष तथा पिछले दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के विकास के लिये प्रदान की गई निधियों तथा कार्यक्रमों के ब्यौरे:—

क्रम० सं०	योजना का नाम	1992–93	1993–94	1994–95
1	लड़कियों के लिये होस्टल	18.21	19.51	4.73
2	लड़कों के लिये होस्टल	23.00	39.23	6.44
3	आश्रम स्कूल	25.00	—	—
4	शैक्षिक परिसर	—	25.33	10.26
5	व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	26.10	3.46	21.59
6	विशेष केन्द्रीय सहायता	1855.84	2234.75	2048.46
7	संविधान का अनुच्छेद 275 (1)	356.40	668.25	675.00
8	अनुसंधान और प्रशिक्षण	2.19	0.55	0.86
9	स्वैच्छिक संगठन	2.77	4.33	2.36

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को आवंटित धनराशि

1913. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा की गई वास्तविक मांग की तुलना में वर्ष 1993–94 के दौरान बजटीय प्रावधानों में निगम को कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) आवेदकों ने वर्ष 1994–95 के दौरान कुल कितनी धनराशि की मांग की थी ;

(ग) धन की कमी के कारण रद्द किये गये आवेदनों की संख्या कितनी थी तथा इसमें कुल कितनी धनराशि अंतर्गत थी;

(घ) लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को वर्ष 1994–95 के दौरान कितनी धनराशि दिये जाने का विचार है ?

कल्याण संसदीय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंगकाबालू) :(क) 1993–94 के दौरान आयोग को उनकी 21 करोड़ रु० की मांग के अनुसार 21 करोड़ रु० की राशि शेयर पूंजी के रूप में आवंटित की गई ।

(ख) 1994–95 के दौरान आवेदकों द्वारा मांगी गई कुल धनराशि 133.38 करोड़ रु० है ।

(ग) निधियों के अभाव में कोई आवेदन रद्द नहीं किया गया है ।

(घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम के पास 28.2.95 तक कुल 128 आवेदन लम्बित हैं ।